रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1176/2026/674/22-2-2026-17(353)/2026
लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सागर तिवारी (बन्दी संख्या-559/2023) पुत्र श्री गंगाप्रसाद तिवारी, बमरौली, थाना-दुबौलिया, जनपद-बस्ती का है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-158/2013 में भा0द0वि0 की धारा-308, 323, 325 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती दण्डादेश दिनांक 13.12.2023 द्वारा 05 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 05.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष 09 माह 02 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है, दिनांक 05.09.2025 तक बन्दी की आयु 74 वर्ष तथा संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1176/2026/674(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
3- पुलिस अधीक्षक बस्ती।
4- अधीक्षक, जिला कारागार बस्ती।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।